

प्रमक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
झोंसी मण्डल झोंसी।

सेवा में,

~~संयुक्त शिक्षा निदेशक,~~

~~संयुक्त शिक्षा निदेशक,~~

~~संयुक्त शिक्षा निदेशक,~~

पत्रांक/एन०एन०एस०/

1614-21/2012-13

दिनांक- 29.6.2012

विषय:- आर०एन०एस० वर्ल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिवपुरी रोड, झोंसी को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अन्यापित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी०बी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व सरथाओ को अनापित प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, झोंसी में स्थित संस्था आर०एन०एस० वर्ल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिवपुरी रोड, झोंसी के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जॉचोपरान्त आर०एन०एस० वर्ल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिवपुरी रोड, झोंसी को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः आर०एन०एस० वर्ल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिवपुरी रोड, झोंसी को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापित प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत जोसाघटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मध्यादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमें उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान भवतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा नियुक्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8. विद्यालय का रिकार्ड, निश्चिन्नि प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिषदाभ/सशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

महोदय  
(सत्यजीत कुमार)  
आयुक्त  
झॉसी मण्डल झॉसी।  
तददिनांक-

पृष्ठांकन सा०/एम०ओ०सी०/ 1614-21 /2012-13

- 1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
- 2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी।
- 3. जिलाधिकारी, झॉसी।
- 4. शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०, लखनऊ।
- 5. जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉसी।
- 6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7. प्रमुख कार्यपालक, आर०ए०एस०, पंडित रघुनाथ शर्मा, पौली, भांडाऊ, शिवपुरी, जोधपुर, झॉसी।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
झॉसी मण्डल झॉसी।

*R. Saxena*

**DR. R. SAXENA**  
Principal  
**RNS WORLD SCHOOL**  
Pali Pahadi Shivpuri Road, Jhansi-284003



*Alhaji*